भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1924
01 अगस्त, 202310 श्रावण/, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों को बढ़ावा देना

†1924. डॉ. निशिकांत दुबे:

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत विभिन्न क्षेत्रों की सहकारी समितियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का निकट भविष्य में और अधिक नई सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार खोली गई सहकारी समितियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क): भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) द्वारा प्रकाशित भारतीय सहकारी आंदोलन की सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल-2018 के अनुसार, देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सहकारी समितियां अनुलग्नक-I में दी गई हैं। सहकारिता मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से एक व्यापक राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित कर रहा है। चरण-I के तहत, तीन क्षेत्रों यानी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), डेयरी और मत्स्य पालन की लगभग 2.64 लाख प्राथमिक सहकारी समितियों की मैपिंग फरवरी, 2023 में पूरी हो चुकी है। चरण-II के तहत, राष्ट्रीय सहकारी समितियों व फेडरेशन का मैपिंग कार्य पूरा कर लिया गया है। चरण-III के तहत, डेटाबेस को अन्य सभी क्षेत्रों में कार्यरत शेष सहकारी समितियों तक बढ़ाया जा रहा है।राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस चरण-III के अंतर्गत डेटा संग्रह पूरा होने पर जारी किया जाएगा।

(ख): भारत सरकार ने NABARD, NDDB और NFDB के सहयोग से अगले पांच वर्षों में देश की सभी पंचायतों/गांवों को कवर करने के लिये दो लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) या प्राथमिक डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है।

(ग): वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सहकारी समितियां जिनका उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित नहीं है, संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 44 द्वारा शासित होती हैं और बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत केंद्रीय पंजीयक (CRCS) द्वारा केंद्रीय रूप से प्रशासित होती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सहकारी समितियों का विवरण अनुलग्नक-II में दिया गया है।

सहकारी समितियां जिनका उद्देश्य एक राज्य तक ही सीमित है, संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 32 द्वारा शासित होती हैं और संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के तहत राज्य पंजीयक (RCS) द्वारा प्रशासित होती हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियों का विवरण संबंधित राज्य पंजीयक के पास उपलब्ध है।

*****

अनुलग्नक-I

देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सहकारी समितियाँ

क्र .सं .	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	सहकारी समितियों की संख्या
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2104
2	आंध्र प्रदेश	73218
3	अरुणाचल प्रदेश	783
4	असम	10246
5	बिहार	39169
6	चंडीगढ़	243
7	छत्तीसगढ	11364
8	दिल्ली	6360
9	गोवा	3822
10	गुजरात	77550
11	हरियाणा	24572
12	हिमाचल प्रदेश	5394
13	जम्मू और कश्मीर #	2020
14	झारखंड	13855
15	कर्नाटक	40938
16	केरल	19263
17	लक्षद्वीप	81
18	मध्य प्रदेश	47415
19	महाराष्ट्र	205886
20	मणिपुर	9237
21	मेघालय	1555
22	मिजोरम	1437
23	नागालैंड	9059
24	ओडिशा	17330
25	पुदुचेरी	532
26	पंजाब	17437
27	राजस्थान	28459
28	सिक्किम	5464
29	तमिलनाडु	24482
30	तेलंगाना	65156
31	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	390
32	त्रिपुरा	2067
33	उत्तर प्रदेश	48188
34	उत्तराखंड	5623
35	पश्चिम बंगाल	33656
	कुल	**854355**

स्रोत :NCUI द्वारा प्रकाशित भारतीय सहकारी आंदोलन की सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल -2018

जम्मू और कश्मीर)UT) के आंकड़ों में लद्दाख (UT के आंकड़े भी शामिल हैं (।

अनुलग्नक-II

तालिका-I: पिछले 3 वर्षों, अर्थात 2020, 2021 और 2022 में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समितियों की संख्या।

क्र.सं.	वर्ष	समितियों की संख्या
1	2020	10
2	2021	14
3	2022	68
	कुल	**92**

तालिका-II: पिछले 3 वर्षों में बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजीकृत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार सहकारी समितियों की संख्या।

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्यक्षेत्र	समितियों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	2
2	असम	1
3	बिहार	2
4	गुजरात	1
5	हरियाणा	5
6	जम्मू और कश्मीर	1
7	झारखंड	1
8	केरल	10
9	मध्य प्रदेश	3
10	महाराष्ट्र	30
11	मणिपुर	2
12	दिल्ली	3
13	पंजाब	1
14	तमिलनाडु	7
15	तेलंगाना	2
16	उत्तर प्रदेश	19
17	उत्तराखंड	2
	कुल	**92**

*****